फर्द अहकाम अन्तर्गत नियम 26

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर.

कमला बनाम बचन कौर व अन्य

विविध प्रार्थना संख्या 2023/078

अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश दिनांक	आदेश अथवा कार्यवाही विवरण	आदेश कमांक एवं दिनांक
17.07.2023	वादी की ओर से अधिवक्ता श्री बलराम स्वामी द्वारा उपस्थित आकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत. वाचक द्वारा अपेक्षित प्रतिवेदन प्रस्तुत. दर्ज पंजिका हो। प्रतिवादीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 16 अगस्त, 2023 को पेश हो.	
16/8/23	आज पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 14/9/23 को पेश हो।	
14.09.23	वादी अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थीगण को जारी नोटिस अंडर नामिनल चार्ज, पुनः जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक 27.10.23 को पेश हो।	
27.10.23	आज पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 19.12.23 को पेश हो।	
19.12.23	वादी अधिवक्ता द्वारा मूल वादी अधिवक्ता के [illegible] पत्रावली [illegible] तलबी हेतु दिनांक [illegible] को पेश हो।	
23/1/24	आज पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 7-3-24 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:19:29 IST
Reason: SelfAttested

25.11.24 अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 09.01.25 को पेश हो।

09/01/25 अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित प्रार्थी अधिवक्ता को अप्रार्थीगण की तलबी हेतु पंजीकृत नोटिस प्रेषित करने की हिदायत दी गई पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 06/02/25 को पेश हो।

06/02/25 आज पीठासीन अधिकारी... लामरि रजिस्ट्री कॉम्प्लेक्स पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 05/03/25 को पेश हो।

5-3-25 आज पीठासीन अधिकारी... [illegible] पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 23/05/25 को पेश हो।

23/05/25 अधिवक्ता प्रार्थी तथा प्रार्थी अधिवक्ता को अप्रार्थीगण की तलबी हेतु पंजीकृत डाक द्वारा दिनांक 09.01.25 को अंतिम अवसर दिया गया था। प्रार्थी अधिवक्ता आज पेश हैं। अप्रार्थीगण की तलबी अधिवक्ता के माध्यम अंतिम अवसर CPC के तहत कार्यवाही अमल में लायी जाती है। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 19/06/25 को पेश हो।

19/05/25 अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता को अप्रार्थीगण की तलबी हेतु रजिस्टर्ड नोटिस पर दिनांक 23/04/25 को आदेश 5 नियम 5 CPC के तहत कार्यवाही करने की हिदायत दी गई। अप्रार्थीगण की तामील नहीं हुई। प्रकरण में आदेश 5 नियम 5 CPC के तहत कार्यवाही की जाकर प्र.सं. 23/2025, U/S 125 [illegible] कायमता हेतु वचन फोर्ट व अन्य वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नस्तीबद्ध हो। पक्षकार की सुविधा हेतु कॉपी की जाकर निर्णय की सूची में शामिल हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:19:29 IST
Reason: SelfAttested